राजस्थान सरकार निदेशालय कोष एवं लेखा, राज0 जयपुर

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे-111/

दिनांक :- ३९.५.2013

आदेश संख्या 3 3 / 2013-14

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित लेखाकार /किनष्ठ लेखाकार सीधी भर्ती संयुक्त प्रितयोगी परीक्षा, 2011 में सफल घोषित किये जाने एवं आयोग की अनुशंषानुसार चयनित सूची में से निम्नांकित अभ्यर्थियों को राज. अधीनरथ लेखा सेवा नियम 6 के अनुसार परिवीक्षाधीन किनष्ठ लेखाकार के रूप में उपस्थित देने की तिथि से दो वर्ष की कालाविध के लिए रूपये 10000 /— प्रित माह के स्थाई पारिश्रमिक पर अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके संदर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1 (2) वित्त /नियम / 06 दिनांक 13.03.2006 के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा आदेश दिये जाते है कि वे उप निदेशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा पर दिनांक 13.05.2013 को प्रातः 9.30 बजे प्रशिक्षण हेतु अपनी उपस्थिति देवें। प्रशिक्षण अविध 13 सप्ताह की होगी तथा इस अविध में उनको देय स्थाई पारिश्रमिक आदि का भुगतान संस्थान द्वारा किया जावेगा । 2 वर्ष की परिवीक्षा अविध सफलता पूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् पे–बेण्ड (2) 9300—34800 में ग्रेड पे 3200 एवं नियमानुसार अन्य भत्ते देय होगे । उक्त प्रशिक्षण पूर्णतः गैर आवासीय है अतः प्रशिक्षणार्थी को उहरने आदि की व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी ।

क्र.सं. 1	मेरिट क्रमांक 2	रोल नम्बर	नाम / पिता का नाम सर्वश्री 4	श्रेणी 5	जन्मतिथि , 6
2.	34	701530	रधुचन्द अटोलिया पुत्र श्री कैलाश चन्द अटोलिया	सामान्य	11.02.1982
3.	35	400692	महेन्द्र सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री गोपाल सिंह राजपुरोहित	सामान्य	15.02.1987
4.	62	602430	राधेश्याम जावत पुत्र नाना लाल जावत	सामान्य	17.04.1980
5.	91	705903	गोपाल कृष्ण बैरवा पुत्र श्री रामप्रसाद मोमरोट	एस.सी.	05.11.1981

उपरोक्त अभ्यर्थियों को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अध्यधीन दी जा रही है :--

- 1. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्म तिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र में अंकित एवं राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा स्वीकृत जन्म तिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
- 2. यह नियुक्ति संबंधित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों में अधिकथित निबन्धनों एवं शर्तों के अध्यधीन है ।
- 3. यह नियुक्ति उप महानिरीक्षक, आरक्षी, सी.आई.डी. (सीबी) जयपुर से अभ्यर्थी के चरित्र के संबंध में संतोषजनक प्रमाण— पत्र प्राप्त होने की शर्त पर है।
- 4. अभ्यर्थी को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय स्वास्थ्य अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोषजनक स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उपस्थिति स्वीकार्य नहीं होगी।
- 5. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अविध स्वविवेकानुसार बढाई जा सकती है। निर्धारित अविध में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुतीर्ण होने पर इन्हें उक्त सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
- 6. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की परिवीक्षा की कालावधि के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed remuneration) के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रकार के भत्ते यथा (विशेष भत्ता, मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, बोनस आदि) देय नहीं होगें ।
- 7. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण काल एवं यात्रा भत्ता देय नहीं होगा ।

- 8. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष किनष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं हैं तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी ।
- 9. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है परन्तु राज्य सरकार इन्हें विभागीय परीक्षा में उर्त्तीण/अर्हता प्राप्त कर लेने पर एवं अन्य रूप से स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में जब भी उपयुक्त स्थायी रिक्त पद उपलब्ध होगें इनको राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में स्थायी आधार पर नियुक्त कर सकेगी ।
- 10. उक्त नियुक्तियाँ माननीय न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन होगी।
- 11. उपरोक्त सभी अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त कर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम—1963 के नियम—32 (2) के अन्तर्गत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करना तथा निर्धारित प्रपत्र (फार्म) में अनुबंध पत्र भरकर देना अनिवार्य होगा।
- 12. यदि कोई अभ्यर्थी प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति के दो वर्ष की अवधि में राजस्थान राज्य अधीनरथ लेखा सेवा से त्याग पत्र देना चाहेगा अथवा अन्यत्र पदग्रहण करना चाहेगा तो ऐसा करने से पूर्व प्रशिक्षण अवधि में दी गई परिलब्धियों एवं प्रशिक्षण पर हुये व्यय की दो गुना राशि का भुगतान उसे एक मुश्त राजकोष में जमा कराना होगा।

उपरोक्त अभ्यर्थी आदेश की पालना में उक्त प्रशिक्षण संस्थान में निर्धारित तिथि को यथासमय निश्चित रूप से उपस्थिति देकर इस विभाग को सूचित करेगें अन्यथा उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्रवाई की जावेगी।

इस विभाग से पत्र व्यवहार करते समय अभ्यर्थी अपने मेरिट क्रमांक एवं बैच वर्ष का उल्लेख अवश्य करें । संलग्न:— 1 अनुबन्ध पत्र

> ्री भी निदेशक

क्रमांक एफ.4 (ई) (1) (6)/अलेसे-111/ २६५३ - २६६५

दिनांक :- & 9, 4, 2013

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1. शासन सचिव, वित्त(राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर ।
- 2. शासन सचिव, कार्मिक(क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर
- 3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
- 4. निदेशक, ह.च.मा.राज. राज्य लोक प्रशासन संस्थान, राजस्थान, जयपुर ।

- 6. उप निर्देशक, ह.च.मा. राज. लोक प्रशासन संस्थान, के0आर0 20, सिविल लाइन्स, जिला परिषद के पीछे, कोटा को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि वे अभ्यर्थियों की उपस्थिति से पूर्व दस रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध पत्र जो कि अभ्यर्थी को सीधे ही नियुक्ति आदेश के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है, प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र में प्रस्तुत उपस्थिति रिपोर्ट, के साथ संलग्न करके निदेशालय को प्रेषित करावें।
- 7. निजी सहायक, निदेशक ।
- कम्प्यूटर शाखा (वेबसाइट हेतु) ।

9. रक्षित / निजी पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक—II)

BOND TO BE EXECUTED BY GOVERNMENT SERVANT REQUIRED TO UNDERGO TRAINING ON RS.10/- NON JUDICIAL STAMP PAPER

This bond is made on the date of 2013 by Son of Shir resident of appointed to the post of
ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT (hereinafter called the trainee) of the First Part and
Son of Shri resident of (First Surety); and Son of Shri resident of (Second surety)
hereinafter called collectively the sureties of the second part in favour of the Governor of the State of Rajasthan (hereinafter called the Government).
Whereas the Governor has solected the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT.
And whereas in accordance with Rules it is necessary for the trainee, before assuming independent charge of the post for which he has been also selected to undergo training for a period of weeks.
And whereas the Government have agreed to place the trainee under training on the term hereinafter mentioned and on the condition that the sureties shall give security for the duperformance by the trainee of the said terms.
And whereas the sureties have agreed to give security for the due performance by the trainee of the said terms in the manner hereinafter after appearing.
Now this deed witnesses as follows:-
(1) In consideration of the Government selecting the trainee for appointment to the post of ACCOUNTANT/JUNIOR ACCOUNTANT and arranging for his training in accordance with the Rules, and in pursurance of the said agreement, the trainee hereby covenants with the Government that during the period of such training and within a period of Two year after the completion of such training, he shall not resign the post for which he has been selected as aforesaid, nor shall he take up any employment other than post for which he has been so selected.
(2) For the consideration aforesaid in pursuance of the said agreement the trainee and the suretie agree that if, during the period of training or within a period of Two year after the completion of training, the trainee shall resign or take other employment in contravention of clause (I) above, the trainee and the sureties shall jointly and severally pay to the Government the double of the emoluments paid by the Government to the trainee during the period of his training together with other expenses incurred by the Government thereon but excluding the amounts paid to the trainee by way of traveling and daily allowances under the relevant rules: Provided that the trainee and the Prities shall not be required so to pay the emoluments paid to the trainee during the period of his training, if the training imparted to the trainee, in the opinion of the Government, likely to provide useful in the new appointment also.
In witness whereof this bond has been signed by the trainee and the sureties the day in year
above written.
Signed by the Traince:
Witness (I)
Witness (II)
Signed by the First Surety
Witness (I)
Witness (II) Signed by the Sagand Surety
Signed by the Second Surety Witness (I) Accepted
witness (1) Accepted

Witness (II)

Accepted

D.T.A